NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 24-08-2026

विषय सूची

एआई द्वारा डिज़ाइन किए गए जीवाणुभोजी

भारत का निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र

लचीले भारत के लिए पुनर्योजी कृषि

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने वाणिज्यिक बागवानी के लिए सब्सिडी दिशानिर्देशों में संशोधन किया

महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) में वृद्धि

करुणा एवं संतोष: समाज में सहयोग एवं सद्भाव के बंधनों को मजबूत करना

संक्षिप्त समाचार

- राजघाट उत्खनन
- लाइबेरिया
- बंजर भूमि संबंधी भ्रांति
- ग्लाइफोसेट शाकनाशी
- राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्का

एआई द्वारा डिज़ाइन किए गए जीवाणुभोजी (bacteriophage)

सन्दर्भ

- स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और आर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके जीवाणुभोजी के पूर्ण जीनोम डिज़ाइन किए हैं—ये ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं।

जीवाणुभोजी

- **जीवाणुभोजी (फेज)** ऐसे वायरस हैं जो **चुनिंदा रूप से बैक्टीरिया को लक्षित करके उन्हें नष्ट** करते हैं।
- ये **प्राकृतिक रूप** से पाए जाने वाले सबसे **अधिक प्रचुर जीवित घटकों में से** हैं, जो बैक्टीरियल आबादी को नियंत्रित करने और सूक्ष्मजीवी पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- फेज उपयोगी हैं क्योंकि वे **एंटीबायोटिक जैसी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बैक्टीरिया को नष्ट** कर सकते हैं।
- फेज अपने बैक्टीरियल मेज़बानों को अत्यधिक विशिष्टता के साथ संक्रमित करते हैं। वे **मानव कोशिकाओं को संक्रमित नहीं करते हैं।**
- **रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR)** जीवाणु संक्रमणों के उपचार की हमारी क्षमता के लिए एक गंभीर वैश्विक खतरा है। इसके कारण फेज का उपयोग करके सूक्ष्मजीवी संक्रमणों के उपचार के एक पुराने दृष्टिकोण में रुचि बढ़ी है।
- **फेज थेरेपी** AMR को नियंत्रित करने के लिए एक आशाजनक साधन हो सकती है, जो वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य और विकास के लिए शीर्ष खतरों में से एक है।

AI द्वारा डिज़ाइन किया गया फेज

- **AI द्वारा डिज़ाइन किए गए एक फेज** ने एक वायरल प्रोटीन को अन्य आनुवंशिक परिवर्तनों के साथ सफलतापूर्वक इस तरह संयोजित किया, जिसे पारंपरिक इंजीनियरिंग द्वारा हासिल करना कठिन था।
- कुछ फेज ऐसे बैक्टीरियल प्रतिरोध को दूर करने में सक्षम थे, जिसने मूल वायरस को निष्क्रिय कर दिया था। चिकित्सा के क्षेत्र में यह उल्लेखनीय अवसर उत्पन्न करता है।
- इसका महत्व केवल इस बात में नहीं है कि AI अलग-अलग उत्परिवर्तनों का सुझाव दे सकता है; बल्कि यह ऐसे संयोजनों का पता लगा सकता है, जिनका मनुष्यों द्वारा एक-एक करके परीक्षण करना अत्यंत कठिन होगा।

अनुप्रयोग

- **फेज थेरेपी:** एंटीबायोटिक प्रतिरोध पारंपरिक उपचार विकल्पों को लगातार कम कर रहा है, जबकि जीवाणुभोजी बैक्टीरिया को नष्ट करने का एक अन्य तरीका प्रदान करते हैं।
- **सहायक भूमिका:** AI वैक्सीन एंटीजन, एंटीबॉडी, चिकित्सीय प्रोटीन और आनुवंशिक उपचारों को पहुँचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले वायरल वेक्टर के डिज़ाइन में सहायता कर सकता है।
- **कैंसर थेरेपी:** भविष्य में यह ऐसे ऑनकोलिटिक वायरस को बेहतर बनाने में सहायता कर सकता है, जो चुनिंदा रूप से कैंसर कोशिकाओं पर हमला करते हैं।

वायरस क्या है?

- वायरस एक संक्रामक सूक्ष्मजीव है, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल (या तो DNA या RNA) का एक खंड होता है, जो कैप्सिड नामक प्रोटीन आवरण से घिरा होता है।
- वायरस को जीवित जीव नहीं माना जाता है क्योंकि वे स्वयं चयापचय प्रक्रियाएँ संचालित नहीं कर सकते।
- वायरस अकेले अपनी प्रतिकृति नहीं बना सकता; इसके बजाय, उसे कोशिकाओं को संक्रमित करना पड़ता है और अपनी प्रतियाँ बनाने के लिए मेज़बान कोशिका के घटकों का उपयोग करना पड़ता है।
- अक्सर, इस प्रक्रिया में वायरस मेज़बान कोशिका को नष्ट कर देता है, जिससे मेज़बान जीव को क्षति पहुँचती है।
- मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाले वायरस के प्रसिद्ध उदाहरणों में **एड्स, कोविड-19, खसरा और चेचक** शामिल हैं।

जीनोम

- जीनोम किसी कोशिका में पाए जाने वाले DNA निर्देशों का संपूर्ण समूह है।
- मनुष्यों में जीनोम में कोशिका के केंद्रक में स्थित 23 जोड़ी गुणसूत्र, साथ ही कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद एक छोटा गुणसूत्र शामिल होता है।
- जीनोम में किसी व्यक्ति के विकास और कार्य करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है।

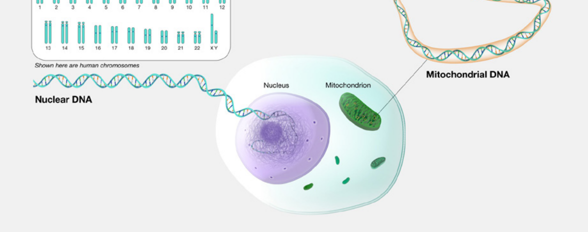

आगे की राह

- स्टैनफोर्ड के प्रयोग से पता चलता है कि **AI जैविक जानकारी का विश्लेषण करने से आगे बढ़कर ऐसे जैविक डिज़ाइन प्रस्तावित कर सकता है,** जिन्हें वैज्ञानिक वास्तव में तैयार कर सकते हैं।
- यह क्षमता **रोगाणुरोधी प्रतिरोध, टीकों और चिकित्सीय उपचारों के अनुसंधान में परिवर्तन** ला सकती है।
- भारत को न केवल इस क्रांति को विनियमित करने और इसका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, बल्कि इसके वैज्ञानिक अनुसंधान में भाग लेने और इसके सुरक्षा उपायों को आकार देने में भी योगदान देना चाहिए।

स्रोत: TH

भारत का निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र

सन्दर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी ने **20 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्ट-अप** के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEOs) के साथ बातचीत की और भारत के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की वैश्विक वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रतिभाओं को आकर्षित करने की क्षमता पर प्रकाश डाला।

भारत का उभरता हुआ निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र

- भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में 8.4 बिलियन डॉलर की है, जो वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का 2–3% है। इसके 2030 तक **40–45 बिलियन डॉलर** तक पहुँचने की उम्मीद है।
- **भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023** ने भारत में अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया।
- **पिक्सल, ध्रुव स्पेस, स्काईरूट एयरोस्पेस, अग्निकुल कॉसमॉस और बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस** जैसी कंपनियाँ एक नए अंतरिक्ष युग की अग्रदूत के रूप में उभरी हैं।

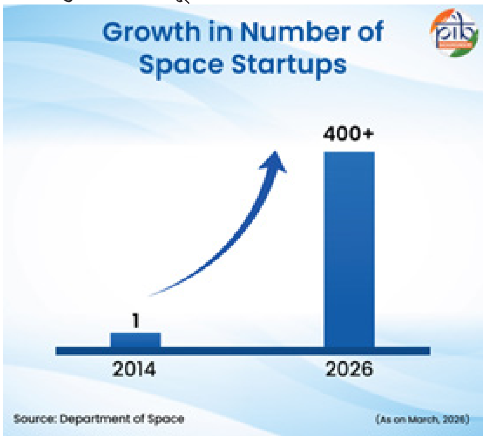

- स्काईरूट एयरोस्पेस **भारत का पहला स्पेस-टेक यूनिकॉर्न** बना। इसका **विक्रम-1 पहला निजी रूप से विकसित भारतीय कक्षीय श्रेणी का रॉकेट** बना, जिसने सफलतापूर्वक निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में एक पेलोड स्थापित किया।
- **पिक्सल स्पेस हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रहों का निर्माण** कर रहा है, जो भारत, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्यिक ग्राहकों तथा सरकारी एजेंसियों को पृथ्वी अवलोकन संबंधी डेटा उपलब्ध कराते हैं।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रमुख सुधार

- **IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र, 2020) की स्थापना**: यह निजी कंपनियों के लिए एकल-खिड़की नियामक और सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है तथा अंतरिक्ष गतिविधियों में उनकी भागीदारी को अधिकृत और प्रोत्साहित करता है।
- **न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (2019) के माध्यम से निगमितीकरण:** इसे ISRO की वाणिज्यिक शाखा के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना, उद्योग के माध्यम से उपग्रह/प्रक्षेपण यान का निर्माण करना और वाणिज्यिक उपग्रह सेवाएँ प्रदान करना है।
- **निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए IN-SPACe द्वारा योजनाएँ लागू की गई हैं:** सीड फंड योजना, मूल्य निर्धारण सहायता नीति, मार्गदर्शन सहायता, गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) के लिए डिज़ाइन लैब, अंतरिक्ष क्षेत्र में कौशल विकास, ISRO की सुविधाओं के उपयोग में सहायता तथा गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।
- IN-SPACe के अंतर्गत ₹1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल (VC) फंड अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को तेज करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
- IN-SPACe ने ₹500 करोड़ का प्रौद्योगिकी अपनयन कोष (TAF) भी शुरू किया है।
- **अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए उदारीकृत FDI नीति:** संशोधित नीति के तहत उपग्रह निर्माण और संचालन में 74% तक स्वचालित FDI, प्रक्षेपण यानों और अंतरिक्ष बंदरगाहों में 49% स्वचालित FDI, तथा उपग्रह के घटकों और उप-प्रणालियों के निर्माण में 100% स्वचालित FDI की अनुमति है।

- **स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क (SpIN):** SpIN अंतरिक्ष उद्योग में स्टार्ट-अप और लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए अपनी तरह का एक अनूठा सार्वजनिक-निजी सहयोग है।

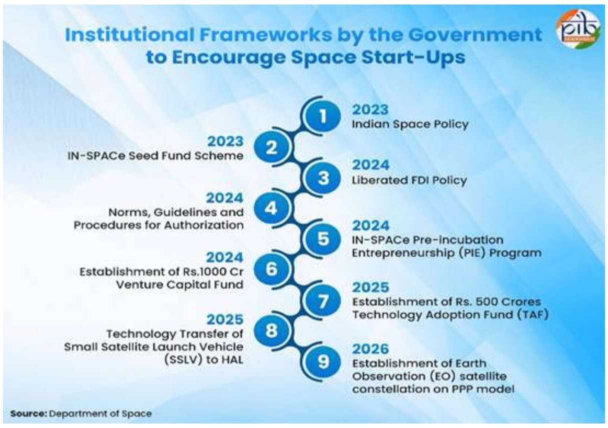

अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण का महत्व

- निजी कंपनियाँ लाभ के उद्देश्य से कार्य करती हैं, जो उन्हें अंतरिक्ष अभियानों और उपग्रह प्रक्षेपणों की लागत कम करने के लिए प्रेरित करता है।
- निजीकरण अंतरिक्ष उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, जिससे दक्षता और नवाचार दोनों को बढ़ावा मिल सकता है।
- निजी क्षेत्र के खिलाड़ी कृषि, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन, नौवहन और संचार सहित अन्य क्षेत्रों में अंतरिक्ष अनुप्रयोगों और सेवाओं के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देते हैं।
- निजी कंपनियों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है, जिससे वे नई परियोजनाएँ शुरू करने में सक्षम होती हैं।
- यह रोजगार सृजन, आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने में सक्षम बनाने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करता है।

चुनौतियाँ

- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी महँगी है और इसमें भारी निवेश की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की आकर्षक क्षमता केवल कुछ चुनिंदा समृद्ध कॉरपोरेट संस्थाओं के पास ही उपलब्ध है, जिससे क्षेत्र में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे के निर्माण एवं संचालन के लिए विशेषीकृत तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता होती है।
- अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की निजी कंपनियों को SpaceX, Blue Origin आदि जैसी स्थापित कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

- निजी संस्थाएँ अब अनुसंधान, विनिर्माण तथा रॉकेट और उपग्रहों के निर्माण के महत्वपूर्ण पहलुओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जिससे नवाचार के एक सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिल रहा है। इससे भारतीय कंपनियों के वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण की उम्मीद है।
- इसके साथ, कंपनियाँ देश के भीतर अपनी विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करने में सक्षम होंगी, जिससे सरकार की 'मेक इन इंडिया (MII)' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों को उचित प्रोत्साहन मिलेगा।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस

- **23 अगस्त** को **'राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस'** घोषित किया गया, ताकि चंद्रयान-3 मिशन की सफलता का सम्मान किया जा सके।
- इस मिशन ने **'शिव शक्ति' बिंदु** पर **विक्रम लैंडर** की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराई तथा **चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान रोवर को उतारा।**

स्रोत: AIR

लचीले भारत के लिए पुनर्योजी कृषि

चर्चा में क्यों ?

- पुनर्योजी कृषि दीर्घकालिक कृषि उत्पादन, पर्यावरणीय स्थिरता और कृषि लाभप्रदता को समर्थन प्रदान कर रही है।

परिचय

- भारत के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में **वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2025** के दौरान **दशकीय आधार पर 4.45% की वृद्धि** दर्ज की गई है।
- इस विस्तार को समर्थन देने के लिए कृषि की पारिस्थितिक जड़ों को पुनर्स्थापित करना आवश्यक है।
- **गहन कृषि** के कारण रसायनों का अत्यधिक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य में गिरावट और अनियमित वर्षा जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जिससे कृषि आदानों की लागत बढ़ती है, जलवायु संबंधी झटके और गंभीर होते हैं तथा छोटे और सीमांत किसान अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

- हालाँकि, **पुनर्योजी कृषि** मृदा स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बहाल करने, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने तथा बाहरी आदानों पर निर्भरता को न्यूनतम करने में सहायता कर सकती है।

पुनर्योजी कृषि

- यह कृषि के लिए एक **समग्र रणनीति** है, जिसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य को बहाल करना और जैव विविधता में सुधार करना है।
- इसका उद्देश्य कृषि प्रणालियों की **दीर्घकालिक उत्पादकता और लचीलेपन को सुनिश्चित** करना है। स्वस्थ मिट्टी अधिक खाद्य और पोषण प्रदान करती है, अधिक कार्बन का अवशोषण करती है तथा जैव विविधता का आश्रय होती है।

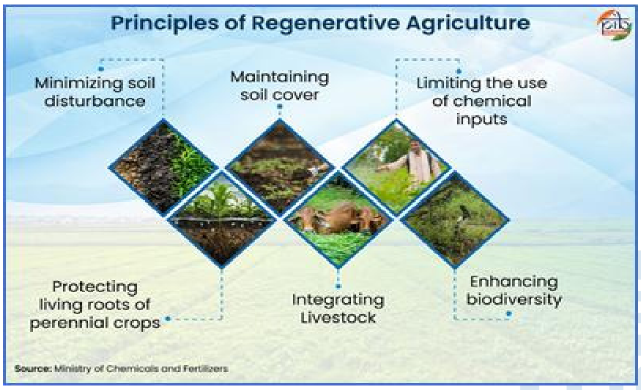

पुनर्योजी कृषि के अंतर्गत आने वाली प्रथाएँ

- **सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ**: यह फॉगर्स, स्प्रिंकलर और ड्रिपर सहित विभिन्न माध्यमों से पौधों की जड़ों तक पानी पहुँचाती हैं। इससे पानी की बर्बादी कम होती है और जल उपयोग दक्षता बेहतर होती है।
- **कृषि मशीनीकरण**: कृषि में कुछ कृषि कार्यों को आसान और स्वचालित बनाने के लिए मशीनों और उपकरणों का उपयोग करना।
- यह पानी, ईंधन और उर्वरकों जैसे महत्वपूर्ण आदानों के उपयोग को अनुकूलित करने में मदद करता है, जिससे अपव्यय और कार्बन पदचिह्न कम होता है।
- **नाइट्रोजन उर्वरक का प्रबंधन**: इसका मुख्य उद्देश्य उपयुक्त उर्वरक का चयन करना और सही समय पर सही मात्रा में उसका उपयोग करना है।
- **प्राकृतिक खेती:** यह भारत की स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर आधारित और रसायनों से मुक्त कृषि पद्धति है।
- यह तकनीक देशी मवेशियों से प्राप्त सामग्री से तैयार बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, नीमास्त्र और दशपर्णी जैसे जैविक आदानों के उपयोग पर आधारित है।
- **एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS)**: यह कृषि उत्पादन प्रणालियों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है, जिसमें एक ही प्रणाली में एक से अधिक कृषि उद्यमों को एकीकृत किया जाता है।
- यह अंतरफसली खेती, फसल चक्र, बहुफसली खेती और मिश्रित खेती जैसी रणनीतियों को प्रोत्साहित करती है, जो संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करती हैं।
- **कृषि वानिकी**: यह अधिक टिकाऊ और लाभदायक कृषि पद्धति विकसित करने के लिए फल एवं बागान फसलों को बारहमासी वृक्ष प्रणालियों के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया है।
- **जलवायु-लचीली कृषि (CRA):** यह उन प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करती है, जो कृषि प्रणालियों की जलवायु परिवर्तन से संबंधित तनावों और झटकों से निपटने की क्षमता को बढ़ाती हैं।

पुनर्योजी कृषि के लाभ

- **पर्यावरणीय प्रभाव**
  - **मृदा का पुनर्स्थापन**: पुनर्योजी दृष्टिकोण मृदा में जैविक पदार्थ, मृदा संरचना और दीर्घकालिक मृदा उर्वरता को बहाल करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादकता बनी रहती है।
  - **जैव विविधता में सुधार**: पुनर्योजी कृषि पद्धतियाँ परागणकर्ताओं, लाभकारी कीटों और मृदा सूक्ष्मजीवों की अधिक विविधता को बढ़ावा देती हैं। इससे संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य बना रहता है।
  - **जलवायु परिवर्तन का शमन**: ये प्रौद्योगिकियाँ पर्यावरण से जितना कार्बन उत्सर्जित करती हैं, उससे अधिक कार्बन अवशोषित करती हैं, जिससे कृषि से होने वाले उत्सर्जन की प्रभावी रूप से भरपाई होती है।
  - पुनर्योजी कृषि सतत विकास लक्ष्य (SDG) 13 — जलवायु कार्रवाई के साथ अत्यधिक अनुकूल है।
  - **जल दक्षता:** स्वस्थ मिट्टी अधिक पानी धारण करती है, जिससे जल का बहाव कम होता है।
  - यह मिट्टी के कटाव तथा नदियों और झीलों में तलछट एवं विषैले पदार्थों के पहुँचने को कम करके जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी लाभ पहुँचाती है।
- **आर्थिक और सामाजिक परिणाम**
  - **लाभप्रदता**: स्वस्थ मिट्टी का अर्थ है सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई की कम आवश्यकता।
  - इससे कृषि आदानों की लागत कम होती है, उपज स्थिर रहती है और किसानों की शुद्ध आय बढ़ती है।

- **रोजगार सृजन**: पुनर्योजी कृषि खेती, परामर्श सेवाओं, प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिक प्रबंधन के क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा करती है।
- **अधिक लचीलापन**: पुनर्योजी कृषि वाले खेत जलवायु और बाजार की परिस्थितियों में होने वाले बदलावों के प्रति अधिक लचीले होते हैं।

चुनौतियाँ

- **संक्रमण में देरी और अस्थायी उपज में कमी:** प्राकृतिक रूप से मौजूद सूक्ष्मजीवी गतिविधियों को पुनर्स्थापित होने में 3 से 5 वर्ष लगते हैं; इसलिए उपज में कुछ समय के लिए कमी आ सकती है, जिसके बाद उपज में सुधार होकर वह आदान लागत से अधिक हो सकती है।
- **प्रारंभिक पूंजी की अधिक आवश्यकता**: विशेष उपकरण, जैसे बिना जुताई वाली बीज ड्रिल या चक्रीय पशुधन चराई के लिए बाड़, के लिए शुरुआत में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है।
- **ज्ञान और श्रम की कमी**: सामान्य रासायनिक कृषि कार्यक्रम फसलों की विविधता और चक्रीय चराई की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं होते। इनके लिए व्यापक क्षेत्रीय कृषि संबंधी ज्ञान की आवश्यकता होती है।
- **नीति और प्रमाणन में अंतराल**: कई क्षेत्रों में अभी भी पारंपरिक रसायन-प्रधान वाणिज्यिक फसलें उगाई जा रही हैं और आधिकारिक पुनर्योजी कृषि प्रमाणन की प्रक्रिया अभी चल रही है।

लक्षित हस्तक्षेप

- **राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन**: इसकी घोषणा **2024** में की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को धीरे-धीरे प्राकृतिक खेती की ओर स्थानांतरित करने में सहायता के लिए एक सक्षम समर्थन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
- इसके तहत अधिकतम एक एकड़ प्रति किसान के लिए **दो वर्षों तक प्रत्येक वर्ष ₹4,000 प्रति एकड़ का उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन** दिया जाता है।
- इसमें किसानों को जीवामृत और बीजामृत जैसे जैविक आदानों तक सरल पहुँच सुनिश्चित करने के लिए **आवश्यकता-आधारित 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र** स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
- **परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY): 2015** में शुरू की गई यह योजना भारत के जैविक कृषि आंदोलन का एक प्रमुख स्तंभ बन गई है।
- **प्रति बूंद अधिक फसल**: देश में **2015-16 से प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC) योजना लागू** की जा रही है।
- यह सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों, विशेष रूप से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, के माध्यम से खेतों में जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने को प्रोत्साहित करती है।
- **वर्षा आधारित क्षेत्र विकास परियोजना (RADP)**: इसे **2014-15** से एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) के समर्थन के लिए क्षेत्र-आधारित क्लस्टर तकनीक के माध्यम से लागू किया गया है।
- इसमें मौजूदा पद्धतियों के अधिक प्रभावी उपयोग और समुदाय की अधिक भागीदारी को शामिल किया गया है। किसानों को IFS प्रणाली अपनाने के लिए प्रति परिवार **₹30,000 की प्रोत्साहन राशि** दी जाती है।
- प्रत्येक क्लस्टर को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियों में सहायता के लिए **₹10,000 का वजीफा** भी दिया जाएगा।
- **कृषि वानिकी पर उप-मिशन**: पूर्ववर्ती कृषि वानिकी पर उप-मिशन (SMAF) को **2023-24** से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के अंतर्गत कृषि वानिकी घटक के रूप में पुनर्गठित किया गया है।
- यह किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (QPM) उपलब्ध कराने हेतु कृषि वानिकी नर्सरियों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना**: **मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना 2015 में शुरू की** गई थी और यह वैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से किसानों को प्रत्येक भू-स्वामित्व के लिए भूखंड-वार मृदा परीक्षण के निष्कर्ष उपलब्ध कराती है।

स्रोत :PIB

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा वाणिज्यिक बागवानी के लिए सब्सिडी दिशानिर्देशों में संशोधन

सन्दर्भ

- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) ने बागवानी फसलों के उत्पादन और कटाई-पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी के विकास की योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है, ताकि सरकारी सहायता का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) द्वारा किए गए प्रमुख संशोधन

- 'परिवार' की विस्तारित परिभाषा: संशोधित परिभाषा में सब्सिडी आवेदक के पति/पत्नी, पिता, माता, पुत्र और पुत्रियों को शामिल किया गया है।

- पुराने दिशानिर्देशों के अनुसार, 'परिवार' शब्द को "पति, पत्नी और आश्रित नाबालिग बच्चों" के रूप में परिभाषित किया गया था।

सरकारी अधिकारियों का बहिष्करण: नए दिशानिर्देशों के तहत सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाँच श्रेणियों के लोग NHB योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे। इनमें शामिल हैं:

- वर्तमान में संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति।
- वर्तमान मंत्री और राज्य मंत्री; लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य; राज्य विधानसभाओं/विधान परिषदों के सदस्य; नगर निगमों के महापौर और जिला पंचायतों के अध्यक्ष।
- केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), स्वायत्त निकायों और स्थानीय निकायों के सेवारत कर्मचारी, MTS/चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप D कर्मचारियों को छोड़कर। ₹10,000 या उससे अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी, MTS/चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप D पेंशनभोगियों को छोड़कर।
- किसानों का समूह।
- हालाँकि, उपर्युक्त श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्य, परिवार की संशोधित परिभाषा के लागू प्रावधानों के अधीन, एक बार की सहायता का लाभ उठा सकते हैं।
- **एक परिवार–एक सब्सिडी सिद्धांत:** NHB योजनाओं के तहत केवल एक परिवार का एक सदस्य ही वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।
- परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा प्राप्त सहायता को पूरे परिवार द्वारा प्राप्त सहायता माना जाएगा।
- यह प्रतिबंध सभी NHB योजनाओं और घटकों पर लागू होगा, जिसमें HUFs, साझेदारी/स्वामित्व फर्मों या कंपनियों के माध्यम से प्राप्त सहायता भी शामिल है।
- **सब्सिडी में कमी:** केंद्र ने सामान्य श्रेणी के राज्यों में लाभार्थियों के लिए सब्सिडी घटक को 50% से घटाकर 35% कर दिया है तथा पूर्वोत्तर या हिमालयी राज्यों में इसे 45% कर दिया है।
- **स्वैच्छिक निकास तंत्र:** लाभार्थी निर्धारित शर्तों के अधीन, लॉक-इन अवधि के दौरान सब्सिडी और उस पर लागू ब्याज वापस करके स्वेच्छा से योजना से बाहर निकल सकते हैं।

भारत में बागवानी क्षेत्र

- **बागवानी कृषि** की वह शाखा है जो **फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों, बागान फसलों और सजावटी पौधों की खेती, उत्पादन, प्रबंधन और कटाई-पश्चात प्रबंधन से संबंधित है।**
- भारत विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह मसालों, नारियल और काजू के उत्पादन में भी अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है।
- भारत का बागवानी उत्पादन 2024-25 में 367.72 मिलियन टन तक पहुँच गया, जिसमें 114.51 मिलियन टन फल और 219.67 मिलियन टन सब्जियाँ शामिल थीं।
- देश में बागवानी का क्षेत्रफल 2025-26 में लगभग 301.51 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कृषि फसल उप-क्षेत्र में बागवानी क्षेत्र का सकल मूल्य उत्पादन (GVO) में लगभग 37% योगदान है।

योजना का परिचय

- बागवानी फसलों के उत्पादन और कटाई-पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास एक प्रमुख **ऋण-संबद्ध सब्सिडी योजना** है, जिसे **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के अंतर्गत संचालित** किया जाता है।
- यह **उच्च-तकनीकी वाणिज्यिक खेती, संरक्षित खेती और मजबूत शीत-श्रृंखला अवसंरचना को बढ़ावा देती है, जिससे फसल की बर्बादी कम होती है और लाभ अधिकतम** होता है।
- इसमें **शिमला मिर्च, खीरा और टमाटर** जैसी फसलों के साथ-साथ **गुलाब, लिलियम और गुलदाउदी** जैसे फूल भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) का परिचय

- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा **1984** में **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** के **प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत** एक **स्वायत्त संगठन** के रूप में की गई थी।
- बोर्ड का उद्देश्य एकीकृत उच्च-तकनीकी वाणिज्यिक बागवानी के लिए उत्पादन क्लस्टर या हब विकसित करना, कटाई-पश्चात और शीत-श्रृंखला अवसंरचना का निर्माण करना, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उच्च-तकनीकी वाणिज्यिक बागवानी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देना है।

स्रोत: IE

महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) में वृद्धि

सन्दर्भ

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2025 से कोविड-19 महामारी के बाद 2020 से महिला श्रम **बल भागीदारी दर (FLFPR) में महत्वपूर्ण वृद्धि** का पता चलता है।

परिचय

- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए समग्र FLFPR 2019-20 में 30% से बढ़कर 2025 में 40% हो गई।
- ग्रामीण क्षेत्रों में यह वृद्धि अधिक स्पष्ट रही, जहाँ FLFPR 33% से बढ़कर 45.9% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 23.3% से बढ़कर 27.7% हुई।
- ग्रामीण क्षेत्रों में औसत वार्षिक प्रतिशत-बिंदु (AAPP) परिवर्तन: पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, बिहार, राजस्थान और हरियाणा में AAPP अखिल भारतीय ग्रामीण औसत से अधिक दर्ज किया गया।
- शहरी क्षेत्रों में AAPP परिवर्तन: राजस्थान और गुजरात में विशेष रूप से मजबूत सुधार दर्ज किए गए। उत्तराखंड, केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ओडिशा, बिहार और आंध्र प्रदेश में भी AAPP अखिल भारतीय शहरी औसत से अधिक रहा।
- राज्यों के बीच तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच महिला श्रम बल भागीदारी में सुधार की गति में काफी अंतर है।
- AAPP FLFPR में सुधार की गति को मापता है, लेकिन यह भागीदारी के पूर्ण स्तर को नहीं दर्शाता।
- किसी राज्य का AAPP कम हो सकता है क्योंकि वहाँ पहले से ही FLFPR का स्तर अधिक है, जबकि किसी अन्य राज्य में AAPP अधिक हो सकता है, लेकिन वहाँ कुल महिला श्रम बल भागीदारी अभी भी कम हो सकती है।

भारत में FLFPR में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक

- **स्वरोजगार और ग्रामीण आजीविका का विस्तार**: वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वरोजगार, पारिवारिक उद्यमों और कृषि गतिविधियों में बढ़ी हुई भागीदारी से जुड़ा है, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में।
- **महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का विस्तार**: DAY-NRLM जैसी योजनाओं ने महिलाओं की ऋण, कौशल, उद्यमिता और विविध आजीविका के साधनों तक पहुँच का विस्तार किया है।
- **रोजगार के अवसरों का विस्तार**: विनिर्माण, सेवाओं, खुदरा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य गैर-कृषि गतिविधियों जैसे क्षेत्रों में वृद्धि ने धीरे-धीरे महिलाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए हैं।
- **महिलाओं की शिक्षा और कौशल में सुधार:** बढ़ती शैक्षिक उपलब्धि और कौशल विकास कार्यक्रमों में अधिक भागीदारी ने महिलाओं की रोजगार क्षमता तथा श्रम बाजार में प्रवेश करने की उनकी आकांक्षाओं को बढ़ाया है।
- **सामाजिक दृष्टिकोण और आकांक्षाओं में बदलाव**: महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, वित्तीय स्वायत्तता और उद्यमिता के प्रति बढ़ती जागरूकता ने धीरे-धीरे पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती दी है।
- **ग्रामीण परिवारों में अधिक आर्थिक आवश्यकता**: गरीब परिवारों के लिए महिलाओं की श्रम भागीदारी आय के एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त स्रोत और आजीविका सुरक्षा का साधन हो सकती है।
- **महिला रोजगार को समर्थन देने वाली सरकारी नीतियाँ**: स्वयं सहायता समूहों, कौशल विकास, उद्यमिता, वित्तीय समावेशन और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी पहलों ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में आने वाली कुछ बाधाओं को कम किया है।

महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में बाधाएँ

- **लैंगिक पूर्वाग्रह**: प्रगति के बावजूद, कई महिलाओं को ऐसे रूढ़िबद्ध विचारों का सामना करना पड़ता है जो उनकी क्षमता और नेतृत्व कौशल पर सवाल उठाते हैं।

NEXT IAS हिन्दी

- **कार्य-जीवन संतुलन**: पेशेवर जिम्मेदारियों को पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं के साथ संतुलित करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे अक्सर अत्यधिक तनाव और थकान की स्थिति उत्पन्न होती है।
- **उत्पीड़न और भेदभाव**: कार्यस्थल पर उत्पीड़न अभी भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, जो शत्रुतापूर्ण वातावरण पैदा करता है और महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने से हतोत्साहित करता है।
- **शिक्षा तक पहुँच का अभाव**: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुँच, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, लड़कियों के भविष्य के अवसरों को प्रभावित करती है।
- **आर्थिक असमानता:** महिलाओं को अक्सर वेतन में अंतर, सीमित रोजगार अवसर और असमान वित्तीय स्वतंत्रता का सामना करना पड़ता है।
- **बाल विवाह**: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की व्यापकता महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वायत्तता को प्रभावित करती है।

श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकारी पहल:

- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):** PMMY के तहत महिलाएँ बिना किसी संपार्श्विक के सूक्ष्म ऋण प्राप्त कर छोटे उद्यम स्थापित कर सकती हैं। इससे महिलाओं को पूंजी तक पहुँच से संबंधित बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलती है।
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना**: यह योजना लैंगिक भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए कार्य करती है तथा लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करती है।
- यह शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तीकरण को बढ़ावा देती है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी बढ़ती है।
- **मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017:** इस अधिनियम के तहत 10 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया।
- **नीति आयोग का महिला उद्यमिता मंच (WEP):** यह मंच व्यवसाय में महिलाओं के लिए मार्गदर्शन, नेटवर्किंग, वित्त पोषण और कौशल विकास के अवसर प्रदान करता है।
- **स्वयं सहायता समूह (SHGs) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM):** NRLM अपने SHG घटक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को ऐसे समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो ऋण, उद्यमिता प्रशिक्षण और विपणन के अवसरों तक पहुँच प्राप्त कर सकें।
- **राष्ट्रीय क्रेच योजना:** यह योजना कामकाजी माताओं, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को सहायता प्रदान करती है। इसके तहत आस-पास के स्थानों पर डे-केयर केंद्र स्थापित किए जाते हैं, जहाँ महिलाएँ काम के दौरान अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं।
- **मिशन शक्ति:** यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) द्वारा 2021–2025 की अवधि के लिए शुरू किया गया महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम है।
- इसका उद्देश्य महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए हस्तक्षेपों को मजबूत करना तथा महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार बनाना है।

निष्कर्ष

- भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) में वृद्धि अधिक आर्थिक सशक्तीकरण और अधिक समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है।
- हालाँकि, इस गति को बनाए रखने के लिए केवल भागीदारी बढ़ाने से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण, उचित पारिश्रमिक वाले और सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- वेतन में **लैंगिक अंतर, कौशल विकास, बाल देखभाल, कार्यस्थल की सुरक्षा और औपचारिक रोजगार तक पहुँच** में मौजूद अंतर को दूर करने से FLFPR में वृद्धि को स्थायी जनसांख्यिकीय और आर्थिक लाभांश में बदलने में सहायता मिल सकती है।

स्रोत: TH

करुणा एवं संतोष: समाज में सहयोग एवं सद्भाव के बंधनों को मजबूत करना

सन्दर्भ

- भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में संस्कृत सुभाषित साझा किया, जिसमें करुणा और संतोष के गुणों पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि यह भावना समाज में सहयोग और शांति के संबंधों को और मजबूत करती है।

करुणा और संतोष का परिचय

- करुणा और संतोष एक-दूसरे को समृद्ध करने वाले गुण हैं, जो व्यक्तिगत चरित्र के साथ-साथ सार्वजनिक नैतिकता को भी मजबूत करते हैं।
- करुणा दूसरों के दुःख के प्रति जागरूकता और उसे दूर करने की इच्छा है; जबकि संतोष अत्यधिक लालसा के बिना आंतरिक पूर्णता और प्रसन्नता की अवस्था है।
- दोनों मिलकर अहंकार के बजाय सहानुभूति और उपभोक्तावाद के बजाय संयम पर आधारित जीवन का समर्थन करते हैं।

मूल अवधारणाएँ

- **करुणा (Karuna):** दूसरों के कल्याण के प्रति सक्रिय चिंता। यह भावनात्मक लचीलेपन का निर्माण करती है, पारस्परिक संबंधों को मजबूत करती है और गरिमा की स्वाभाविक भावना प्रदान करती है।
- **संतोष (Santosha):** हमारे पास जो कुछ है, उसके प्रति आंतरिक संतुष्टि की अवस्था। यह लालच को शांत करता है, चिंता को कम करता है और बाहरी मान्यता प्राप्त करने की अंतहीन खोज को समाप्त करता है।

नैतिकता की आधारशिला के रूप में करुणा और संतोष

- केवल नियम नैतिकता को बनाए नहीं रख सकते; इसके लिए मनुष्य में उचित मानसिक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है।
- करुणा नैतिक दायरे को स्वार्थ से आगे बढ़ाती है और कमजोर एवं जरूरतमंद लोगों की देखभाल के लिए प्रेरित करती है।
- संतोष लालच, ईर्ष्या और स्वार्थ की निरंतर खोज पर अंकुश लगाता है। करुणा हमें देने के लिए प्रेरित करती है, जबकि संतोष सिखाता है कि लेना कब बंद करना चाहिए।
- भारतीय बौद्धिक परंपराओं में इन गुणों का प्राचीन काल से ही महिमामंडन किया गया है:
- 'सन्तोषः परमं सुखम्' (Santosha□ paramam sukham): संतोष ही परम सुख है।

- इसी प्रकार, 'दया' (Dayā) की संस्कृत अवधारणा नैतिक आचरण के केंद्र में करुणा को स्थान देती है।
- 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना में संपूर्ण विश्व को एक परिवार माना गया है, जो करुणा को सीमित पहचानों से आगे पूरे मानव समाज तक विस्तारित करती है।

करुणा और संतोष का महत्व

- **मानवीय कल्याण:** करुणा सामाजिक एकजुटता को बढ़ाती है और अलगाव की भावना को कम करती है। संतोष कृतज्ञता, मानसिक शांति और लचीलेपन को बढ़ावा देता है।
- **सामाजिक सद्भाव:** करुणा वंचित और कमजोर वर्गों के प्रति पूर्वाग्रह एवं उदासीनता का समाधान है। संतोष हानिकारक प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और भौतिकवाद को कम करता है।
- **नैतिक निर्णय-निर्माण:** ये दोनों गुण मिलकर महत्त्वाकांक्षा और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। ये मानव गरिमा या पारिस्थितिक स्थिरता से समझौता किए बिना मानवता की प्रगति को बढ़ावा देते हैं।

सिविल सेवाओं में भूमिका

- एक सरकारी कर्मचारी के लिए करुणा का अर्थ नागरिक-केंद्रित शासन तथा गरीबों, बुजुर्गों, महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता है।
- यह प्रशासन को यांत्रिक नियमों के कारण बाधित होने से बचाती है। वहीं, संतोष भ्रष्टाचार, लालच और पद के दुरुपयोग के विरुद्ध एक नैतिक सुरक्षा कवच है।
- एक करुणामय और संतुष्ट लोक सेवक सहानुभूति, ईमानदारी और विवेक के साथ अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है।
- अंततः, ये मूल्य शासन को केवल सेवाएँ प्रदान करने की प्रक्रिया से आगे बढ़ाकर मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय के साधन में बदल देते हैं।

निष्कर्ष

- नैतिकता का सार करुणा है और उसका संतुलन संतोष है।
- असमानता और अत्यधिक भौतिकवाद के दौर में व्यक्तिगत सुख के साथ-साथ नैतिक एवं मानवीय सार्वजनिक शासन के लिए इन गुणों को विकसित करना आवश्यक है।

स्रोत: PIB

संक्षिप्त समाचार

राजघाट उत्खनन

सन्दर्भ

- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) ने हाल ही में 1957 में पुरातत्वविद् **टी. एन. रॉय** के निर्देशन में वाराणसी के राजघाट में किए गए उत्खनन से प्राप्त 10,000 से अधिक कलाकृतियों वाले 22 बक्से खोले।

1957 के उत्खनन से प्रमुख खोजें

इन बक्सों में 10,000 से अधिक पुरातात्विक कलाकृतियाँ थीं, जिनमें शामिल हैं:

- लगभग 3,000 वर्ष पुरानी चित्रित काली मृद्भांड सामग्री।
- प्राचीन मूर्तियाँ, सिक्के, औजार और मुहरें।
- तांबे, हाथीदाँत और हड्डी से बनी वस्तुएँ।
- कई अभिलिखित मुहरें, जिनमें **ब्राह्मी लिपि** वाली मुहरें भी शामिल हैं।

राजघाट का पुरातात्विक महत्व

- राजघाट वाराणसी के उत्तर-पूर्वी किनारे पर, गंगा और वरुणा नदियों के संगम के निकट स्थित है।
- यह मध्य गंगा घाटी का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और प्राचीन वाराणसी की एक महत्वपूर्ण बस्ती का हिस्सा था, जिसका संबंध काशी महाजनपद से था।
- 'वाराणसी' नाम वाली मुहरों और मुहर-छापों से इस स्थल का प्राचीन वाराणसी से संबंध स्थापित करने में सहायता मिली।
- राजघाट में सबसे पुराने पुरातात्विक अवशेषों की पहचान 1939 में काशी रेलवे स्टेशन के विस्तार के दौरान की गई थी।

स्रोत: IE

लाइबेरिया

सन्दर्भ

- दक्षिण-दक्षिण सहयोग के ढाँचे के तहत महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और लैंगिक-संवेदनशील शासन का अध्ययन करने के लिए लाइबेरिया के सांसदों के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया।

लाइबेरिया का परिचय (राजधानी: मोनरोविया)

- **स्थिति**: लाइबेरिया **पश्चिमी अफ्रीका के पश्चिमी तट** पर स्थित एक संप्रभु देश है। इसकी सीमा **पश्चिम में सिएरा लियोन, उत्तर में गिनी और पूर्व में कोट द'ईवोआर** से लगती है, जबकि **दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में अटलांटिक महासागर** स्थित है।
- **इतिहास**: लाइबेरिया अफ्रीका के उन दो देशों में से एक है जिन्हें औपचारिक रूप से किसी यूरोपीय शक्ति द्वारा उपनिवेश नहीं बनाया गया था; दूसरा देश **इथियोपिया** है।
- **जलवायु**: देश में उष्णकटिबंधीय, आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जिसमें उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और भारी मौसमी वर्षा होती है।
- **जैव विविधता**: लाइबेरिया में शेष बचे ऊपरी गिनी वर्षावन का लगभग 35–40% हिस्सा है, जो पश्चिम अफ्रीका में जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र है।
- **सापो राष्ट्रीय उद्यान और गोला वन राष्ट्रीय उद्यान** जैसे संरक्षित क्षेत्र पिग्मी हिप्पोपोटामस और डायना बंदर जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय भूमिका:

- लाइबेरिया 1945 में संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य था।
- यह 1963 में अफ्रीकी एकता संगठन (OAU) का भी संस्थापक सदस्य था, जिसे बाद में अफ्रीकी संघ (AU) में परिवर्तित किया गया।
- लाइबेरिया में भारत का योगदान: 2007 में भारत ने लाइबेरिया में पहली बार पूरी तरह महिला पुलिस इकाई तैनात की, जिसने 2016 तक सेवा दी। इसने शांति स्थापना में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया और अधिक लाइबेरियाई महिलाओं को वर्दीधारी सेवाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।

स्रोत: IE

बंजर भूमि भ्रांति (Fallacy)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में यह देखा गया है कि बंजर भूमि भ्रांति (Barren-Land Fallacy) गलत वनीकरण को बढ़ावा दे सकती है और स्थानीय पारिस्थितिक संतुलन को बाधित कर सकती है।

बंजर भूमि भ्रांति (Fallacy)

- यह ऐसी अवधारणा है कि जो भूमि वन नहीं है, वह बंजर, क्षरित या जैविक रूप से अपर्याप्त है और इसलिए उसे वन में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
- यह अनुचित वृक्षारोपण अभियानों को जन्म दे सकती है, जिसमें ऐसे वातावरण में भी पेड़ लगाए जाते हैं जहाँ वे स्वाभाविक रूप से नहीं पाए जाते।
- उदाहरण के लिए, जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में अधिक पानी की आवश्यकता वाले यूकेलिप्टस को उगाने से स्थानीय पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है।

सही दृष्टिकोण

- घासभूमियाँ, सवाना, झाड़भूमियाँ, दलदली क्षेत्र और मरुस्थल मूल्यवान प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। इनमें से कुछ पारिस्थितिकी तंत्र कम वृक्ष आवरण पर निर्भर होते हैं।
- इसलिए, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन का उद्देश्य केवल वृक्ष आवरण बढ़ाना नहीं, बल्कि उस पर्यावरण को पुनर्स्थापित करना होना चाहिए जो संबंधित क्षेत्र के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त है।

स्रोत: TH

ग्लाइफोसेट शाकनाशी

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में पर्यावरणविदों ने हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में वन विभाग की भूमि पर ग्लाइफोसेट के कथित छिड़काव को लेकर चिंता जताई है।

ग्लाइफोसेट

- यह एक शाकनाशी है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में घास, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और आक्रामक खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
- यह मक्का, सोयाबीन, कपास, कैनोला, फल, सब्जियाँ, मेवे और गन्ने जैसी फसलों की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से ग्लाइफोसेट-प्रतिरोधी फसलों के लिए।
- भारत में कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत ग्लाइफोसेट को मुख्य रूप से चाय बागानों में खरपतवार नियंत्रण के लिए स्वीकृत किया गया है, लेकिन इसका उपयोग कथित रूप से विभिन्न खाद्य/गैर-खाद्य फसलों, घरों और संस्थानों में अवैध रूप से फैल गया है।

स्रोत :DTE

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

सन्दर्भ

- भारत की राष्ट्रपति विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का परिचय

- ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस (5 सितंबर) के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। यह दिवस भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध दार्शनिक-शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
- शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीन चरणों वाली पारदर्शी, ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसका समन्वय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता है।
- अपवर्जन: ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक जिन्होंने उस कैलेंडर वर्ष के कम से कम एक भाग में—अर्थात् कम से कम चार महीने, यानी 30 अप्रैल तक—सेवा नहीं की है, जिस वर्ष के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाना है, पात्र नहीं होंगे। ट्यूशन में संलग्न शिक्षक/प्रधानाध्यापक भी पात्र नहीं होंगे।
- संविदा शिक्षक और शिक्षा मित्र भी पात्र नहीं हैं।

क्या आप जानते हैं?

- **राष्ट्रीय शिक्षा दिवस** प्रत्येक वर्ष **11 नवंबर** को भारत के प्रथम **शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद** के सम्मान में मनाया जाता है।

स्रोत: PIB